उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-178/2017/1576/92-2-17-126आरई/2008,

लखनऊ:: दिनांक:: 11 अक्टूबर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र के कार्यकाल में बरती गयी अनियमितताओं हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4139/62-3-2008-126आरई/2008, दिनांक 09-09-2008 द्वारा श्री श्याम नारायण पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को आरोप पत्र देते हुए उनके विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद को पदेन जॉच अधिकारी नामित करते हुए जांच की कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या 01 माह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

2- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जांच आख्या मे प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह स्थिति प्रकट हुयी कि अपचारी अधिकारी श्री श्याम नारायण के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों में प्रक्रियात्मक/वित्तीय अनियमितता का आरोप अपचारी अधिकरी पर स्थापित पाया गया किन्तु किसी प्रकार की शासकीय क्षति कारित किया जाना नहीं पाया गया ।

3- इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री श्याम नारायण पाण्डेय, (सेवानिवृत्त) तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता के माह नवम्बर 2016 में देहान्त हो जाने के दृष्टिगत वित्त सामान्य अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा0-3-1713/दस-87-933/98, दिनांक 28-07-1989 में दी गयी व्यवस्था **"मृत्यु होने की दशा में संबंधित सरकारी सेवक अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर सकता है और चूंकि एकतरफा कार्यवाही विधिक दृष्टि से न्यायोचित नही कही जा सकती। अत: मृत्यु के दिनांक को ऐसे विभागीय/न्यायिक कार्यवाही समाप्त हुए समझी जायेगी।"** के क्रम में श्री श्याम नारायण पाण्डेय, सेवानिवृत्त तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09.09.2008 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-178/2017/1576/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री श्याम नारायण पाण्डेय, (सम्प्रति सेवानिवृत्त) तत्का0 प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।